संख्या- 11/2023/77-1002(001)/1/2021/001-920

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,

उ0प्र0, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 15 जून, 2023

विषय:- उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केलटन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि (ऋण) का आबंटन/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में जारी निर्देशों के अनुसरण में उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर की बन्द कताई मिलों की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, लेखे तैयार किये जाने एवं विधिक व्यय (होल्डिंग ऑन ऑपरेशन) तथा स्केल्टन स्टाफ के वेतन आदि के भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 5,19,85,000.00 (रू0 पांच करोड उन्नीस लाख पचासी हजार मात्र) में से प्रथम किश्त धनराशि रू0 1,29,75,000.00 (रू0 एक करोड उन्तीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर के होल्डिंग ऑन ऑपरेशन के लिए वर्ष 2023-24 में उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 1,29,75,000.00 (रू0 एक करोड उन्तीहस लाख पचहत्तएर हजार मात्र) आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा आहरित कर उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर को उपलब्ध कराई जायेगी।

2. उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से ब्याज दर 14 प्रतिशत (11.50+2.50) प्रतिवर्ष लिया जाएगा, किन्तु नियमित प्रतिदान एवं ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज की दर में 2.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, अर्थात

इस दशा में ब्याज की प्रभावी दर 11.50 प्रतिशत (अनन्तिम) होगी, बशर्ते कोई व्यवधान न हो। उपरोक्त ऋण का प्रतिदान 5 (पांच) समान वार्षिक किश्तों में ब्याज सहित किया जायेगा। ऋण प्रतिदान की प्रथम किश्त प्राप्त करने की तिथि की पहली वर्षगांठ पर देय होगी और अगली वार्षिक किश्तें भी उसी तिथि को देय होगी। ऋण/ब्याज के समय से प्रतिदान/भुगतान करने में व्यवधान होने पर निर्धारित 14 (चौदह) प्रतिशत की दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात उस दशा में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

3. उक्त धनराशि के आहरण हेतु आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर द्वारा बिल बनाया जायेगा तथा पारण हेतु कानपुर नगर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही सीमित रखा जायेगा। वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (जैसी भी स्थित हो) सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।

5. कंपनी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व निर्गत किश्त की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय कर लिया जाए, तभी अगली किश्त का आहरण राजकोष से किया जाएगा।

6. कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के उपरान्त प्रत्येक निर्गत किश्त का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन एवं महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रस्तुत करना होगा।

7. स्वीकृत धनराशि को दिनांक 31.03.2024 तक कोषागार से आहरित कर लिया जाए, जिन बाउचर्स व दिनांक पर धनराशि निकाली जाए उसकी सूचना तुरन्त शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजी जाए।

8. उक्त ऋण का लेखा आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर के लेखा कोष्ठक द्वारा रखा जायेगा और वे उसके ब्याज सहित समय से प्रतिदान की मानीटरिंग भी करेंगें।

9. उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर द्वारा ऋण आहरण की सूचना उपमहालेखाकार, राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक सूचित करते हुए निम्न विवरण के साथ भेजें :-

(क)- कोषागार का नाम।

(ख)- चालान संख्या व दिनांक।

(ग)- जमा धनराशि, किश्त एवं ब्याज।

(घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया।

(च)- शासनादेश संख्या तथा एस.एल.आर. का सन्दर्भ।

(छ)- पिछले जमा का सन्दर्भ

10. ऋणी संस्था आहरण की प्रत्येक वर्षगांठ पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से अवश्य करें।

11.धनराशि से सम्बन्धित आंकड़ो की शुद्धता स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

12.उक्त बंद पड़ी कम्पनी की परिसमापन आदि के संबंध में कार्ययोजना तथा अद्यतन कृत कार्यवाही का विवरण शीघ्र उपलब्ध करायेंगे।

13. धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

14. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,29,75,000 (रुपये एक करोड़ उन्तीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 6860011900600 उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ को कर्ज **मानक मद** 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-10-X-2023-24-दिनांक: 14-6-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव

संख्या- 11/2023/77-1002(001)/1/2021/001-920, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर।
3. कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्कीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आवंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
5. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर।

6. सचिव/महाप्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ0प्र0 शासन।
9. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
10. गार्ड फाइल।

Signed by रजनी कान्त पाण्डेय
Date: 15-06-2023 17:24:17
Reason: Approved

आज्ञा से,
(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव